भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय: क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई) रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. एबी.14017/61/2008-स्था. (आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई) रायपुर, छत्तीसगढ़ में **स्टाफ नर्स** के पद के लिए भर्ती नियमों का प्रारूप संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर आपत्तियां/टिप्पणियां करने या सुझाव देने के इच्छुक पणधारक अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव इन भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में श्री अम्बा दत्त बवारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली- 110008 को अथवा ई-मेल पता: ad.bawari@nic.in पर दे सकते हैं।

(अम्बा दत्त बवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23061510

नई दिल्ली
दिनांक: 18 मई, 2018

(भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीजीएचएस प्रभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: मई, 2018

अधिसूचना

सां.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, में **स्टाफ नर्स** के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. ***संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-*** (1) इन नियमों को क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर "**स्टाफ नर्स**" समूह 'ख' अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2018 कहा जाएगा। ये अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. ***पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:-*** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. ***भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:-*** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. ***निरर्हता:-*** वह व्यक्ति
   (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह के लिए अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
   (ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **प्रारंभिक नियुक्ति:-** वह व्यक्ति जो, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में नियमित आधार पर स्टाफ नर्स का पद धारित किए होगा, उसे इन नियमों के आधार पर उक्त पद पर नियुक्त हुआ माना जाएगा और उसके द्वारा दी गई नियमित सेवा की गणना परिवीक्षा अवधि, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और पेंशन के उद्देश्य से की जाएगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियामों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है